



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, शहीद पथ लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सबके लिए आवास के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में, “वरीयता नीति” की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचित कराना है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, शहीद पथ लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 4752 नग जी+3 भवनों का पंजीकरण दिनांक 20.03.2018 से दिनांक 05.05.2018 तक खोला गया था। कुल प्राप्त 24839 नग आवेदन पत्रों में से पी.एम.ए.वाई. प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय द्वारा उक्त आवेदन पत्रों को सूझा से वैलिडेट कराने हेतु कम्प्यूटराईज्ड डेटा सूझा से वैलिडेशन की कार्यवाही हेतु भेजा गया। सूझा कार्यालय द्वारा उक्त 24839 नग आवेदन पत्रों में से मात्र 23900 नग आवेदन पत्रों को ही वैलिडेट किया है।

सूझा कार्यालय द्वारा नॉन वैलिडेट किये गये 907 नग आवेदन पत्र की सूची परिषद की वेब-साईट एवं सं.प्र. कार्यालय अवध विहार योजना, लखनऊ में उपलब्ध है। नॉन वैलिडेटेड पंजीकृत आवेदकों को 15 दिन के अन्दर उनकी जमा धनराशि की वापसी जमा कर्ता सम्बंधित बैंक द्वारा उनके खाते में कर दिया जायेगा। 23900 वैलिडेट आवेदक “वरीयता नीति” के अन्तर्गत जाति एवं दिव्यांग जन/विधवा/एकल महिला/उभयलिंगी/वरिष्ठ नागरिक का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना, लखनऊ में जमा करें।

आवास आयुक्त